

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 123/2023

अनवान : –

1. कालुराम पुत्र बनवारीलाल जाति सोनी निवासी टोपरिया तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. किरण पुत्री ओमप्रकाश जाति भाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।

2. ममता पुत्री ओम प्रकाश जाति भाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।

3. राजबाला पुत्री ओम प्रकाश जाति भाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।

4. रमेश कुमार पुत्र ओम प्रकाश जाति भाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।

5. सन्तोष पत्नी ओम प्रकाश जाति भाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।

6. विमला पुत्री विद्या जाति भाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।

7. रोशनी पुत्री कमला जाति भाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।

8. मांगी पुत्र कमला जाति भाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।

9. सुभाष पुत्र कमला जाति भाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।

10. शारदा पुत्री मोहनी जाति भाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।

11. इन्द्रा पुत्री मोहनी जाति भाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।

12. सुशीला पुत्री मोहनी जाति भाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।

13. मैना पुत्री मोहनी जाति भाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।

14. राजेन्द्र पुत्र मोहनी जाति भाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।

15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

16. उप पंजीयक कार्यालय उप तहसील खुईया तहसील नोहर।

–प्रतिवादीगण

17. भीमराज पुत्र बनवारीलाल जाति सोनी निवासी टोपरिया तहसील नोहर।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा

53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक: 30/03/26

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता स0 142/144 की कुल 9.7630 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 5 व मृतक विद्या पत्नी बालुराम व तरतीबी प्रतिवादी स0 17 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी व तरतीबी प्रतिवादी स0 17 की उक्त भूमि खरीद शुदा है। वादी व प्रतिवादी स0 17 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को समतल व उपजाऊ बना रखा है एवं अपने हक हिस्सा की भूमि पर काबिज है प्रतिवादीगण वादी की भूमि पर काबिज होना चाहते है वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से आपस में सींव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है तथा लगान के संबंध में तनाजात रहते है इसलिए कब्जा कास्त के मुताबिक वादी अपना खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है।



राहुल
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता स0 142/144 की कुल 9.7630 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान अलग किया जावे।


वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 व 7 ता 9, 14 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 की तरफ से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र किशोर ने जवाब दावा पेश किया की जमाबंदी मे दर्ज हक हिस्सा व मुताबिक किस्म भूमि के खाता व लगान अलग किया जावे। प्रतिवादीगण संख्या 6 व 10 ता 12 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। शेष प्रतिवादीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी व प्रतिवादी ने मुताबिक मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।


अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता स0 142/144 की कुल 9.7630 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

1. कालुराम पुत्र बनवारीलाल हि. 1/2 जाति सोनी सा. टोपरीया खातेदार राहिन हि. 1/2 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा गोरखाना, भीमराज पुत्र बनवारीलाल हि. 1/2 जाति सोनी सा. टोपरीया खातेदार राहिन हि. 1/2 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा गोरखाना – खसरा न. 189/2/1 रकबा 2.302 है.
2. किरण पुत्री ओमप्रकाश हि. 7461/74610 जाति भाट सा. देह खातेदार राहिन हि. 7461/74610 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा गोरखाना, ममता पुत्री ओमप्रकाश हि. 7461/74610 जाति भाट सा. देह खातेदार राहिन हि. 7461/74610 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा नोहर, रमेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश हि. 7461/74610 जाति भाट सा. देह खातेदार राहिन हि. 7461/74610 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा नोहर, राजबाला पुत्री ओमप्रकाश हि. 7461/74610 जाति भाट सा. देह खातेदार राहिन हि. 7461/74610 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा नोहर, विद्या पत्नी बालुराम हि. 37305/74610 जाति भाट सा. देह खातेदार राहिन हि. 37305/74610 हनुमानगढ सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड शाखा नोहर, सन्तोष पत्नी ओमप्रकाश हि. 7461/74610 जाति भाट सा. देह खातेदार राहिन हि. 7461/74610 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा नोहर – खसरा न. 189/2/2 रकबा 7.4610 है.


उपजुष्ट अधिकारी
नोहर

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 30/03/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 135/2023

अनवान : –

1. कालुराम पुत्र बनवारीलाल जाति सोनी निवासी टोपरिया तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. किरण पुत्री ओमप्रकाश जाति भाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
2. ममता पुत्री ओम प्रकाश जाति भाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
3. राजबाला पुत्री ओम प्रकाश जाति भाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
4. रमेश कुमार पुत्र ओम प्रकाश जाति भाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
5. सन्तोष पत्नी ओम प्रकाश जाति भाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
6. विमला पुत्री विद्या जाति भाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
7. रोशनी पुत्री कमला जाति भाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
8. मांगी पुत्र कमला जाति भाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
9. सुभाष पुत्र कमला जाति भाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
10. शारदा पुत्री मोहनी जाति भाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
11. इन्द्रा पुत्री मोहनी जाति भाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
12. सुशीला पुत्री मोहनी जाति भाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
13. मैना पुत्री मोहनी जाति भाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
14. राजेन्द्र पुत्र मोहनी जाति भाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
16. उप पंजीयक कार्यालय उप तहसील खुईया तहसील नोहर।

–प्रतिवादीगण

17. भीमराज पुत्र बनवारीलाल जाति सोनी निवासी टोपरिया तहसील नोहर।


– तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 135 सन 2023 निर्णय दिनांक 30/03/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता स0 142/144 की कुल 9.7630 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—


1. कालुराम पुत्र बनवारीलाल हि. 1/2 जाति सोनी सा. टोपरीया खातेदार राहिन हि. 1/2 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा गोरखाना, भीमराज पुत्र बनवारीलाल हि. 1/2 जाति सोनी सा. टोपरीया खातेदार राहिन हि. 1/2 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा गोरखाना – खसरा न. 189/2/1 रकबा 2.302 है.
2. किरण पुत्री ओमप्रकाश हि. 7461/74610 जाति भाट सा. देह खातेदार राहिन हि. 7461/74610 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा गोरखाना, ममता पुत्री ओमप्रकाश हि. 7461/74610 जाति भाट सा. देह खातेदार राहिन हि. 7461/74610 स्टेट बैंक ऑफ


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

इंडिया शाखा नोहर, रमेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश हि. 7461/74610 जाति भाट सा. देह खातेदार राहिन हि. 7461/74610 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा नोहर, राजबाला पुत्री ओमप्रकाश हि. 7461/74610 जाति भाट सा. देह खातेदार राहिन हि. 7461/74610 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा नोहर, विद्या पत्नी बालुराम हि. 37305/74610 जाति भाट सा. देह खातेदार राहिन हि. 37305/74610 हनुमानगढ सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड शाखा नोहर, सन्तोष पत्नी ओमप्रकाश हि. 7461/74610 जाति भाट सा. देह खातेदार राहिन हि. 7461/74610 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा नोहर – खसरा न. 189/2/2 रकबा 7.4610 है.

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अंतिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/03/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर